



**कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के धारा 1 (4) के अंतर्गत
स्वेच्छा से व्याप्ति के लिए अधिकांश कर्मचारियों का सहमति पत्र**
**Consent Letter of Majority of Employees for Voluntary Coverage under Section 1(4)
of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952**

सेवा में/To,

तारीख/Date

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/The Regional Provident Fund Commissioner,

विषय : मैसर्स (शाखाएं इत्यादि सहित) को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के अंतर्गत विस्तार करने की सहमति के लिए

Sub : Extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under Section 1(4) to M/s (including branches, etc.) – Consent of majority of Employees – Regarding

महोदय/Sir,

हम अधोहस्ताक्षरी मैसर्स (शाखाओं सहित) के अधिकांश कर्मचारी क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दि से स्वैच्छिक आधार पर व्याप्ति के लिए सहमत हैं तथा हम भारत सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अंतर्गत माह की अंतिम तिथि को अपने हिस्से का भविष्य निधि अंशदान की प्रतिशत की दर से देने को इच्छुक हैं। हम वचन भी देते हैं कि उक्त नियम की आवश्यकताओं को तथा समय समय पर जारी संशोधनों का पालन करेंगे।

We the undersigned majority of employees of M/s (including branches etc.) do hereby consent and apply to be covered under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 on voluntary basis with effect from the last date of the month in which the notification is published in the Gazette of India, and we are willing to pay our share of Provident Fund contribution at the rate of % We also undertake to abide by the requirements of the said statute and the rules framed there under as amended from time to time.

2. हम अनुरोध करते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करें।

We request that necessary notification under Section 1(4) of the Act may be issued at an early date.

भवदीय/Yours faithfully

SI No	नाम/Name	पिता का नाम/Father's name	जन्म तिथि/Date of Birth	हस्ताक्षर/Signature
1				
2				
3				

धारा 1(4) के अंतर्गत विस्तार करने हेतु मैसर्सके अधिकांश कर्मचारियों सहमति पत्र
(जारी) Consent of majority of Employees of M/sfor
coverage under Section 1(4) (Continued)

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

put additional sheets if so required

नियोक्ता द्वारा अनुप्रमाणित
Counter Signed by Employer

नियोजक की सहमति Consent of Employer

मैं/हम मेसर्स
के स्वामी/निदेशक/भागीदार, भारत के राजपत्र में दिनांक माह के अंतिम दिन को जब अधिसूचना प्रकाशित किया गया, से कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर व्याप्ति के लिए आवेदन करते हैं। मैं/हम नियोजक के रूप में इस अधिनियम की धारा 6 तथा 6 के कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 29 एवं 38 तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे पैरा 28 एवं 39 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा ग्राफ 38 एवं 39 के अंतर्गत यथाप्रबन्ध प्रभार के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत तथा प्रावधान किया गया है। प्रतिशत की दर से भविष्य निधि तथा पेंशन निधि अंशदान के मेरे/हमारे हिस्से का भुगतान करने का एतद्वारा वचन देते हैं तथा समय समय पर तथा संशोधित सांविधिक तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमों के सभी प्रावधानों तथा शर्तों का पालन करते हैं।

I/We..... for the Proprietor/Director/Partner of M/s..... do hereby apply for coverage under Section 1(4) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 on voluntary basis with effect from.....the last date of the month in which the Notification is published in the Gazette of India. I/We, as employer(s), do hereby undertake to and will pay my/our share of Provident Fund and Pension Fund contribution at the rate of%, as provided under Section 6 and 6A of the said Act read with paragraph 29 and 38 of Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and paragraph 4 of Employees' Pension Scheme.1995 and Administrative charges as provided under paragraphs 38 and 39 of Employees' Provident Funds Scheme.1952 and to abide by all provisions and requirements of the said status and the rules frame there under as amended from time to time.

2. अधिकतम कर्मचारी अंशदान के अपने हिस्से प्रतिशत की दर से भुगतान करने के लिए इच्छुक है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजना के उपबन्धों के अनुपालन करने के लिए सहमत हैं। इस संबंध में उनकी लिखित सहमती संलग्न है।

The majority of the employees are willing to pay their shares of contributions at the rate of % and have agreed to comply with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed there under. The written consent to this effect is enclosed.

3. मैं/हम नियोजन के रूप में हम वादा करते हैं कि हम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंशदान को उक्त नियम की धारा 6 (ग), जिसे उक्त स्कीम के पैरा 7 के साथ पढ़ा गया है, के अंतर्गत तथा उल्लिखित 0.5 प्रतिशत की दर से तथा योजना के पैरा 3 के अंतर्गत तथा किया गया है। प्रशासनिक प्रभार 0.01 की दर से भुगतान करेंगे तथा सभी प्रावधानों व आवश्यकताओं, संविधिक तथा समय पर उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करेंगे।

I/We, as employer(s) do hereby undertake to and will pay the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 Contributions at the rate of 0.5% as provided under Section 6C of the said Act read with paragraph 7 of the said Scheme and Administrative Charges at the rate of 0.01% as provided under paragraph 3 of the Scheme and to abide by all provisions and requirements and the statute and the rules framed there under from time to time.

4. मैं/हम यह भी आश्वासन देते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बनाई गई योजना के अधीन लाभों को मेरे/हमारे अन्य शाखाओं/कार्यालयों/कर्मचारियों/एककों/विभागों/फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ाएंगे। ऊपर उल्लिखित संस्थानों में नियोजित अधिकतम मजदूरों ने भी कुल कर्मचारियों के अधिकांश कर्मचारियों ने 'सहमति' दी है।

I/We, also undertake and agree to extend the benefits under the Scheme framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 to the employees employed in my/our other branches/offices/units/departments/factories. The majority of the workers employed in the above mentioned concerns have also subscribed to the "consent" by the majority of total employees.

5. मुझे/हमें नियोजक (को) के रूप में मजदूरों के अंशदान की दर प्रतिशत देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, तथा मैं/हम कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 39 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के पैरा 8 अंतर्गत समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा निर्धारित आवश्यक प्रशासनिक प्रभारों के भुगतान करने की जिम्मेदारी लेते हैं।

I/We, as employer(s) have no objection to the workers, contribution at the rate of..... % and I/We, undertake to pay the necessary administrative charges as fixed by the Central Government from time to time under paragraph 39 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and paragraph 8 of the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976.

6. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

Necessary Arrangements may kindly be made to issue the necessary notification under Section 1 (4) of the Act, by the Central Provident Fund Commissioner.

Seal

भवदीय / Yours faithfully

नियोजक (कों) का हस्ताक्षर / Signature of Employer(s)